

कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र.प्रयागराज

पत्रांक:-AE-2/WC(Cell)/Group-II/20/2018/Vol-I/158 - दिनक:- 05/2023

सेवा मे,

31-
T.R.150

समस्त अधिशासी अभियंता,

लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग,

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग

विषय:- माह नवम्बर-2022 के पश्चात अवशेष स्टॉक की धनराशि की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध मे

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग -2 के आदेश संख्या - 4/2022/ए -2-133/दस-2022-10 (9)/95 दिनांक-18.08.2022 के द्वारा वर्क्स/रेमिटान्स विभागों मे दिनांक 01-04-2022 को उचंत मर्दों एवं रेमिटान्स मर्दों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु तीन माह (अधिकतम 30 नवम्बर तक) की समय सीमा निर्धारित की गयी थी।

अतः उक्त आदेश के आलोक में आपके खंड द्वारा निस्तारित/समायोजित स्टॉक की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक:-07.06.2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि स्टॉक अवशेषों की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव हो सके।

खंड का नाम	VLC कोड	दिनांक 01/04/2022 को स्टॉक अवशेष की धनराशि	दिनांक 01/12/2022 को स्टॉक अवशेष की धनराशि	उपरोक्तनुसार निस्तारित/समायोजित स्टॉक की धनराशि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०स०(प्र०)

प्रतिलिपि:-

- समस्त खंडीय लेखाधिकारियों/लेखाकार को आवश्यक कार्यवाही एवं पत्र की एक प्रति अपने अधिशासी अभियंता को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- सहायक लेखाधिकारी कम्प्युटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Shubla
31/07/2023
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०स०(प्र०)